BINOD BIHARI MAHTO KOYALANCHAL UNIVERSITY

DHANBAD, JHARKHAND

E-mail:- registrarbbmku@gmail.com

Ref. No. : BBMKU/R/ 417 /2026 Date:- 27/02/2026

NOTICE

All Nationalised Banks and Private Banks as listed in Letter No. 245 dated 25.01.2019 and Letter No. 110 dated 15.02.2023 issued by the Department of Finance, Government of Jharkhand, and operating within Dhanbad, are hereby requested to furnish the prevailing rates of interest applicable to **Bulk Fixed Term Deposits (Callable and Non-Callable)** as well as **Savings Bank Accounts**, for consideration by the University in connection with its financial planning and fund management. The interested banks are requested to submit the following details:

1. Current rate of interest on Savings Bank Accounts.
2. Current rate of interest on Bulk Fixed Deposits (clearly specifying callable and non-callable deposits, along with tenure-wise rates).
3. A declaration stating that the quoted rate shall remain valid up to a specified date (to be mentioned by the bank) and that the rate offered is unconditional.

The details must be submitted in a sealed cover superscribed "Interest Rate for Bulk Deposits", duly signed and sealed by the competent authority of the bank, and addressed to:

Registrar
Binod Bihari Mahto Koyalanchal University (BBMKU)
P.O. Nagnagar, P.S. Barwadda
Dhanbad, Jharkhand – 826004

The sealed proposals must reach the University office on or before **09.03.2026** during office hours.
The University reserves the right to accept or reject any or all offers without assigning any reason thereof.

By order of the Vice-Chancellor
Sd/-
Registrar

Ref. No. : BBMKU/R/ 417 /2026, Dhanbad. Date:- 27/02/2026

Copy to:-

1) Establishment Section, BBMKU, Dhanbad
2) PA to VC/DSW/R for information to VC/DSW/R
3) Guard File.

27/02/26

Registrar
Binod Bihari Mahto Koyalanchal University,
Dhanbad

27/2/26

पत्रांकःसां०वि०बैंकिंग–01 / 2016:............................/

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग
(सांस्थिक वित्त प्रभाग)

प्रेषक,

दीप्ति जयराज
विशेष सचिव ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव
सभी विभाग, झारखण्ड।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड।
सभी उपायुक्त, झारखण्ड।

राँची, दिनांक............................/

विषयः बैंकों में सरकारी राशि / खाता रखने के संबंध में।

महाशय / महाशया,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या– 515 दिनांक 06.12.2021 द्वारा गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 245 दिनांक 25.01.2019 तथा विभागीय पत्रांक 49 दिनांक 11.01.2022 द्वारा बैंकों में सरकारी राशि / खाता रखने के लिए दी गयी अनुमति के अतिरिक्त दो (02) अन्य निजी बैंकों (1) कोटक महिन्द्रा बैंक तथा (2) बंधन बैंक में सरकारी राशि / खाता रखने की अनुमति 01 अप्रैल 2023 के प्रभाव से देने का निर्णय लिया गया है।

कोई भी नया बैंक खाता खोलने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने से संबंधित परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

विश्वासभाजन
ह0 / –
(दीप्ति जयराज)
विशेष सचिव।

ज्ञापांकः सां०वि०बैंकिंग–01 / 2016............................/ राँची, दिनांक............................/

प्रतिलिपि– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची / विभगीय मंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची / विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव: मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(दीप्ति जयराज)
विशेष सचिव।

ज्ञापांकः सां०वि०बैंकिंग–01 / 2016............................/ राँची, दिनांक............................/

प्रतिलिपि– उप महाप्रबंधक, नाबार्ड, राँची / उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ इंडिया, राँची / विशेष सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(दीप्ति जयराज)
विशेष सचिव।

ज्ञापांकः सां०वि०बैंकिंग–01 / 2016...110.../ राँची, दिनांक...15/02/2023.../

प्रतिलिपि– श्री अभय कुमार, Cluster Head, Bandhan Bank, राँची / श्रीमती किरण मिश्रा, मुख्य प्रबंधक (G.B) Kotak Mahindra Bank, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(कौशल किशोर झा)
उप सचिव।

Letter

पत्रांक : वित्त–7/विविध–2012/2014........

झारखण्ड सरकार

योजना सह वित्त विभाग

(वित्त प्रभाग)

प्रेषक,

सतेन्द्र सिंह,
सचिव (व्यय)।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

रॉंची, दिनांक 25.01.19

विषय : निजी क्षेत्र के बैंकों में सरकारी राशि रखने के संबंध में

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वित्त विभागीय पत्रांक 1608/वि. दिनांक 03.06.2015 के द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों में सरकारी राशि रखने को प्रतिबंधित किया गया है। इस प्रतिबंध को समाप्त करने हेतु विभिन्न निजी क्षेत्र के बैंको से अभ्यावेदनो की समीक्षा इस विषयक Reserve Bank of India द्वारा समय–समय पर निर्गत मार्गनिर्देश तथा स्पष्टीकरण के आलोक में की गई। सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि तत्काल निम्न तीन निजी क्षेत्र के बैंक की शाखाओं में सरकारी राशि जमा की जा सकती है –

(i) HDFC Bank,

(ii) Axis Bank and

(iii) ICICI Bank

उपरोक्त बैंकों में निम्न शर्तों के अधीन सरकारी राशि रखी जा सकेगी :–

(i) वर्तमान में जो सरकारी राशि विभिन्न सरकारी बैंकों में रखी गई है, उसे किसी भी परिस्थिति में उपरोक्त उल्लिखित निजी बैंकों में हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

(ii) कोई भी नया बैंक खाता खोलने से पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने से संबंधित परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(सतेन्द्र सिंह)
सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक : वित्त–7/विविध–2012/2014 245/वि. रॉंची/दिनांक 25.01.19

प्रतिलिपि : मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव एवं विकास आयुक्त के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(सतेन्द्र सिंह)
सचिव (व्यय)।